47

दो रुपये TWO RUPEES

समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

विविध – 4324/2018/सीहोर/भू.रा.

(पीठासीन अधिकारी श्री एस.एस. अली सदस्य)

प्र.क्र. विविध/सीहोर/18 निगरानी प्रकरण कमांक 495 एवं 497–दो/2017

शफीक रहमान सिद्धीकी पुत्र स्व. ओ. आर. सिद्धीकी .... आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती मिथलेश पत्नि स्व. द्धारका प्रसाद व अन्य .... अनावेदकगण

<u>आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सहपठित धारा 152 व्यवहार प्रकिया संहिता ।</u>

अनावेदक कमांक 04 आयुष्मति एजुकेशन एवं सोशल सोसायटी की ओर से निम्न निवेदन है कि :–

1. यह कि आवेदक द्धारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण कमांक 147 एवं 151/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 24/01/2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई थ उक्त निगरानी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्धारा दिनांक 04/07/2018 के आदेश पारित किये गये है ।

2. यह कि उक्त निगरानी प्रकरण के शीर्षक में अनावेदक कमांक 04 में आयुष्मा एजुकेशन एवं सोशल सोसायटी द्धारा डॉ. सुनील कपूर के स्थान पर टंकण त्रुटिव डॉ. अनीस कपूर अंकित हो गया है जिसे संशोधन किया जाना आवश्यक है ।

3. यह कि उक्त संशोधन के बिना माननीय न्यायालय द्धारा पारित निगरानी प्रकरण आदेश ओचित्य विहीन है ऐसी स्थिति में उपरोक्त पारित आदेश में प्रकरण शीर्षक मे अनावेदक का नाम अनीस कपूर का नाम विलोपित कर डॉ. सुनील व का नाम अभिलेख अनुसार समाहित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ।

अतएव माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अनावेदक द्धारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रकरण के शीर्षक में अनावेदक क 04 का नाम उपरोक्तानुसार संशोधित किये जाने के आदेश न्यायहित में किये जावे ।

अनावेदक कमांक 04

आं. पी. शर्मा अभि. 12.7.18 20.7.18 12.7.18 G.P. Sharma 12.7.18 Adv

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक विविध / 4324 / 2018 / सीहोर / भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
2-8-18	आवेदक स्वयं उपस्थित होकर उनके द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता सहपठित धारा 152 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुतकर अनुरोध किया गया है कि इस न्यायालय का प्रकरण कमांक 495 497–दो / 2017 में पारित आदेश दिनांक 4.7.18 पारित किया गया था जिसमें टंकण की त्रुटि से निगरानी के शीर्षक में अनावेदक कमांक–4 में आयुष्मति एजुकेशन एवं सोशल सोसायटी द्वारा डॉ0 सुनील कपूर के स्थान पर डॉ0 अनीस कूपर अंकित हो गया जिसे सुधार किया जाने का अनुरोध किया गया है। 2–आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी के शीर्षक में अनावेदक कमांक–4 में आयुष्मति एजुकेशन एवं सोशल सोसायटी द्वारा डॉ0 अनीस कपूर के स्थान पर डॉ0 सुनील कपूर पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	